

12

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक

/वि.स./स्था./2020

रायपुर, दिनांक

/ /2020

//कार्यालय आदेश//

आदेशानुसार, सचिवालयीन कार्यालय आदेश क्रमांक 9537/वि.स./स्था./2019 दिनांक 04.09.2019 के तारतम्य में कार्मिक सम्पदा (ई-कर्मचारी) साफ्टवेयर में समस्त शासकीय सेवकों का डाटाबेस Employee Code के आधार पर ई-कर्मचारी साफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारियों की उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अपडेशन किया जा रहा है ।

इस परिप्रेक्ष्य में समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्यालय आदेश क्रमांक 3652/वि.स./स्था./2020 दिनांक 05.03.2020 के तहत सूचित किया गया था कि अपडेशन कार्य हेतु नामांकित कर्मचारी/अधिकारी से प्रिंट आउट प्राप्त कर सभी पृष्ठ पर सभी प्रविष्टियों की जांच कर स्व-सत्यापित करते हुए हस्ताक्षर कर दिनांक 19.03.2020 तक स्थापना शाखा में जमा कराना सुनिश्चित करें । लेकिन यह पाया गया है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आज दिनांक तक स्व सत्यापित करते हुए हस्ताक्षर कर कार्मिक सम्पदा (ई-कर्मचारी) फार्म जमा नहीं कराया गया है वे कृपया दिनांक 26.05.2020 तक जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा स्थिति में ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके कार्मिक सम्पदा फार्म नियत समयवाधि में जमा नहीं होंगे उनके माह मई-2020 के वेतन का आहरण संभव नहीं होगा, जिसके लिए सर्व संबंधित स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

कृपया समस्त अधिकारी/कर्मचारी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

आदेश से,

अपर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 6785 /वि.स./स्था./2020

रायपुर, दिनांक 22/5/2020

प्रतिलिपि:-

01. मान.अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. मान.नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सहायक, को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
03. मान.उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निज सहायक को मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
04. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
05. सर्व संबंधित कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के सूचनार्थ ।
06. सर्वर कक्ष ।

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा